न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :	बनाम	अप्रार्थीगण :
1– हरीराम पुत्र स्वर्गीय रामाराम 2– परमाराम पुत्र स्वर्गीय रामाराम 3– कानूडी पत्नी रामाराम सभी जाति जाट निवासी गुर्जरो की ढाणी भादवा		राजस्थान राज्य तहसीलदार परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– श्री गोपाल पूनिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण

:– श्री जगराम मीणा, राजपैरोकार

मुकदमा नम्बर :– 70/2020 निर्णय दिनांक :– 09–11–2021

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल पूनिया ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम गुर्जरो की ढाणी के खसरा नम्बर 89, 90, 91, 92 93, 94, 95, 96, 97, कुल रकबा 9.3800 हैक्टेयर स्थित हैं जिसमे प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता रामाराम का 1/3 हिस्से अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा है तथा काबिज चले आ रहे हैं तथा प्रार्थीगण के पिता के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तकरण संख्या 39 के द्वारा विरासत का नामन्तकरण प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया गया तथा प्रार्थीगण ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर संयुक्त रूप से तीनो ने ऋण पहले स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बडू से उठाया इसके बाद इसे चुकती कर ओरियन्टल बैक ऑफ कॉमर्स से इसी अनुसार 1/3 स्सि की भूमि पर ऋण प्राप्त किया है जो वर्तमान में उनका हिस्सा रहन हैं तथा वर्तमान मे सेटलमेन्ट अभियान प्रारम्भ होकर समाप्त हो चुका है तथा हिस्सा दर्ज करने के दौरान प्रार्थीगण हिस्सा 1/9 के स्थान पर 1/12 , 1/12 दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण का 1/9, 1/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं वर्तमान में सेटलमेन्ट अभियान प्रारम्भ होकर समाप्त हो चुका है राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के हिस्से गलत होने से प्रार्थीगण को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने मे भारी समस्या हो रही है प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त आराजियात में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/12 , 1/12 के स्थान पर 1/9, 1/9 कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राजपैरोकार ने जवाब प्रस्तुत किया प्रार्थीगण की वंशावली सहित जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रार्थीगण का 1/9 , 1/9 हिस्सा सही होने का उल्लेख किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

3. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारो की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं विधि के सुसंगत प्रावधानो का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार ग्राम गुर्जरो की ढाणी के 89, 90, 91, 92 93, 94, 95, 96, 97, कुल रकबा 9.3800 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का 1/12, 1/12 हिस्सा दर्ज है। सम्वत 2048–2051 की जमाबन्दी पेश की है जिसमें गत खसरा नम्बर 445/7, 445/8, 445/9, 445/10, 445/11, 445/12, 445/13, 445/14, 445/15 भूमि की खातेदारी मन्दरूप, रामा, भोलू पि. कानाराम कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है जिसमें प्रार्थी के पिता का 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है रामा पुत्र काना का स्वर्गवास होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 39 के रामा के स्थान पर हरिराम, परमाराम पि. राम व कानूड़ी पत्नी रामा जाट के नाम खातेदारी दर्ज हुई है, जो इस वाद में वादीगण है गत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण का उक्त आराजीयत में प्रत्येक का 1/9 हिस्सा बनता है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी तहसीलदार परबतसर ने जबाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का स्वीकार करते हुए जबाब पेश कर सजरा खानदान दर्शित करते हुए बताया है कि वादीगण का विवादित आराजीयत में प्रत्येक का 1/9 हिस्सा पैतृक हक हिस्से के अनुसार बनता है। सेटलमेन्ट के समय हिस्सा अंकित करते समय सहवन से वादीगण का उक्त आराजीयत में 1/12, 1/12 हिस्सा अंकित हो गया है।

उपरोक्त विवचेन के अनुसार प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं अप्रार्थी के जबाब से साबित होता है कि उक्त विवादित आराजीयत में वादीगण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था सेटलमेन्ट के समय गलती से 1/12 हिस्सा दर्ज हो गया है जो दुरुस्त किये जाने योग्य है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम गुर्जरो की ढाणी के खसरा नम्बर 89, 90, 91, 92 93, 94, 95, 96, 97, कुल रकबा 9.3800 हैक्टेयर में वादीगण प्रत्येक के हिस्से में दर्ज 1/12 के स्थान पर प्रत्येक का 1/9 हिस्सा दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 09.11.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प भादवा में सुनाया गया।

9/11/21

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)